रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 295] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 24, 1975/कार्तिक 2, 1897

No. 295] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 24, 1975/KARTIKA 2, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October 1975

G.S.R. 538(E).—In exercise of the powers conferred by section 44 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Food Corporations Rules, 1965, namely:—

1. (1) These rules may be called the Food Corporations (Third Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. To sub-rule (2) of rule 3 of the Food Corporations Rules, 1965, the following proviso shall be added, namely :—

Provided that if an officer of the Government is appointed on deputation as Managing Director, the term of office in his case shall be two years from the date of his assumption of office as Managing Director or upto his reaching the age of 58 years, whichever is earlier.".

[No. F. 2-2/75-FC-I]

L. C. GUPTA, Jt. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 1975

सा० का० नि० 538(अ).—केन्द्रीय सरकार, खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य निगम नियम, 1965 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम खाद्य निगम (तृतीय संशोधन) नियम, 1975 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य निगम नियम, 1965 के नियम 3 के उप-नियम (2) में, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यदि सरकार के किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर प्रबंध निदेशक नियुक्त किया जाता है, तो उसकी दशा में पदावधि, प्रबंध निदेशक के रूप में उसके पद ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष अथवा उसके 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इन में से जो भी पूर्वतर हो, होगी।"

[सं० फा० 2-2/75-खा० नि०-1]

एल० सी० गुप्ता, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975